संख्या-54/2023/780/12-5-2023-सा०01/2019

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक,
   उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2023

विषयः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रदेश में समस्त पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक विकासखंड स्तरीय राजकीय कृषि बीज भंडार पर शिविर/कैंप के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में पी0एम0 किसान योजना दिसम्बर 2018 से संचालित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 14वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भुलेख का अंकन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाने के साथ साथ ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा आगामी किस्तें आधार संबंधित गेटवे पेमेंट से ही किया जाना है।

इस हेतु शासनादेश संख्या-30/2023/398/12-5-2023-सा0-01/2019 दिनांक 23 मार्च, 2023 के क्रम में जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में दिनांक 22 मई से 10 जून, 2023 तक शिविर/कैंप का आयोजन किया गया। शासनादेश संख्या-सा0-758/12-5-2023 दिनांक 12 जून, 2023 के क्रम में प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालय पर दिनांक 13-23 जून, 2023 तक शिविर/कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उक्त शिविर/कैंप के माध्यम से अब तक लगभग 23.52 लाख कृषकों के समस्त समस्याओं का निस्तारण कराया गया है, जिसमे 4.55 लाख ईकेवाईसी, 5.48 लाख भूलेख अंकन, 4.39 लाख बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग, 2.86 लाख ओपन सोर्स पंजीकृत कृषकों का सत्यापन एवं 2.66 लाख कृषकों के नए पंजीकरण सम्मिलित हैं।

अभी तक शत प्रतिशत कृषकों के भूलेख अंकन, बैंक खाते के साथ आधार लिंकिंग एवं ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिससे किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते है। लाभ से वंचित होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(i) कृषक द्वारा पात्र होते हुए भी पी0एम0 किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया गया हो।

(ii) कृषक द्वारा ओपेन सोर्स से आवेदन कर दिया गया हो, परंतु उक्त को स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित चल रहा हो।

(iii) आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो, परंतु भूलेख के अद्यावधिक न हो पाने के कारण आगामी किस्तें प्राप्त न हो रही हो।

(iv) पूर्व से स्वीकृत कृषकों का भूलेख का सत्यापन होने के पश्चात भी आधार का लिंक बैंक खाते से नहीं हो पाया हो।

इन सभी श्रेणी के पात्र कृषकों को लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है। अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 24.06.2023 से योजना की **"पी0एम0 किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर/कैंप"** प्रदेश के समस्त विकास खंडों के राजकीय बीज भंडार पर लगाया जायेगा, जिसमे कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल, कॉमन सर्विस सेंटर एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। सम्बन्धित जिलाधिकारी उक्त शिविर हेतु कार्मिकों का पैनेल निर्धारित करेंगे। शिविर में समस्त सम्बन्धित कार्मिक प्रत्येक कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से साय 5:00 बजे तक उपस्थित होकर कृषकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। कैंप आयोजन हेतु उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे तथा कैंप हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता संबंधित उप कृषि निदेशक के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। उप कृषि निदेशक प्रतिदिन कैंप की प्रगति समस्त विकास खंडों से संकलित कराकर कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराएँगे।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(i) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(ii) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : सा0 758/12-5-2023

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक,
   उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 12 जून, 2023

विषयः **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रदेश में समस्त पात्र कृषकों योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक तहसील में शिविर/कैंप के आयोजन के सम्बन्ध में।**

महोदय/ महोदया,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में पी0एम0 किसान योजना दिसम्बर 2018 से संचालित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 14वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भूलेख का अंकन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाने के साथ साथ ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा आगामी किस्तें आधार संबंधित गेटवे पेमेंट से ही किया जाना है।

इस हेतु शासनादेश संख्या संख्या-30/2023/398/12-5-2023-सा0-01/2019 दिनांक 23 मार्च, 2023 के क्रम में जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में दिनक 22 मई से 10 जून, 2023 तक शिविर/कैंप का आयोजन किया गया। उक्त शिविर/कैंप के माध्यम से अब तक लगभग 20.36 लाख कृषकों के समस्त समस्याओं का निस्तारण कराया गया है, जिसमे 3.91 लाख ई-के.वाई.सी., 4.45 लाख भूलेख अंकन, 3.95 लाख बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग, 2.51 ओपन सोर्स पंजीकृत कृषकों का सत्यापन एवं 2.39 लाख कृषकों के नए पंजीकरण सम्मिलित हैं।

अभी भी लाभार्थी कृषक हैं, जिनका भूलेख अंकन, बैंक खाते के साथ आधार लिंकिंग अथवा ई-के.वाई.सी. का कार्य अवशेष रह गया है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि योजना से सभी पात्र कृषक आच्छादित हो जाएं। लाभ से वंचित होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

(i) कृषक द्वारा पात्र होते हुए भी पी0एम0 किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) कृषक द्वारा ओपेन सोर्स से आवेदन कर दिया गया हो, परंतु उक्त को स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित चल रहा हो।

(iii) आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो, परंतु भूलेख के अद्यावधिक न हो पाने के कारण आगामी किस्तें प्राप्त न हो रही हो।

(iv) पूर्व से स्वीकृत कृषकों का भूलेख का सत्यापन होने के पश्चात भी आधार का लिंक बैंक खाते से नहीं हो पाया हो।

(v) कृषक द्वारा ई-के.वाई.सी. नहीं कराया जा सका हो।

इन सभी श्रेणी के पात्र कृषकों को लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है। अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 13.06.2023 से दिनांक 23.06.2023 तक **"पी0एम0 किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर/कैंप"** प्रदेश के समस्त तहसीलों में संचालित किया जाएगा। यह कैंप समस्त तहसील मुख्यालय में लगाया जायेगा, जिसमे कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल, कॉमन सर्विस सेंटर एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।

सम्बन्धित जिलाधिकारी उक्त शिविरों हेतु सम्बन्धित कार्मिकों का पैनेल निर्धारित करेंगे। शिविर में समस्त सम्बन्धित कार्मिक प्रत्येक कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से साय 5:00 बजे तक उपस्थित होकर कृषकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। यदि जिलाधिकारी को प्रतीत होता है कि तहसील पर आने वाले कृषकों की संख्या अधिक है, तो ऐसी दशा में कैंप में कार्मिकों के एक से अधिक टीम लगाकर कैंप का संचालन करा सकेंगे।

शिविर हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। शिविर आयोजन हेतु उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। उप कृषि निदेशक प्रतिदिन कैंप की प्रगति समस्त तहसीलों से संकलित कराकर कृषि निदेशायल को उपलब्ध कराएँगे। शिविर की संकलित सूचना कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिदिन शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(i) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(ii) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(डॉ देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।